

विषय : भिलाई इस्पात संयंत्र में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु ।

Subject : Bhilai Steel Plant invites applications for Engagement of Graduate and Technician apprentices

- 1) भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर कुल 154 ग्रेजुएट इंजिनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं 204 टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु एक वर्ष के लिए उपलब्ध है।

Bhilai Steel Plant invites applications for engaging 154 Graduate and 204 Technician apprentices for 1 year as per Apprenticeship Act 1961/1973.

a) For Graduate engineers :

ट्रेड (Discipline)	कुलसंख्या (Total)	सामान्य (General)	अन्यपिछड़ावर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जन जाति (ST)
Mechanical	20	10	3	2	5
Electrical	20	10	3	2	5
Metallurgy	30	15	4	3	8
Civil	6	3	1	1	1
Electronics & its allied branches	16	8	2	2	4
CS/IT	16	8	2	2	4
Mining	30	15	4	3	8
Chemical	10	5	1	1	3
Ceramic	6	3	1	1	1

b) For Diploma engineers :

ट्रेड (Discipline)	कुलसंख्या (Total)	सामान्य (General)	अन्यपिछड़ावर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जन जाति (ST)
Mechanical	40	20	6	4	10
Electrical	30	15	4	3	8
Metallurgy	60	30	8	7	15
Civil	6	3	1	1	1

Electronics & its allied branches	10	5	1	1	3
CS/IT	16	8	2	2	4
Mining	30	15	4	3	8
Chemical	6	3	1	1	1
Ceramic	6	3	1	1	1

Note : Place of training for mining would be Rajhara mines, Balod district, Chhattisgarh.

2) पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक : 20.01.2020

Last date for applying in the portal: 20.01.2020

3) यह अवसर केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है । भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

This opportunity is strictly for apprenticeship training. Bhilai Steel Plant is not liable for providing any sort of employment to the apprentices.

4) प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है व नियुक्ति के समय में आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हो सकता है ।

Vacancies displayed here are indicative and may change any time during the period of engagement based on our requirement.

5) अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 (संशोधित) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो अथवा न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो ।

Only those candidates are eligible who have not undergone apprenticeship training in the past or are undergoing training apprenticeship in the present as per the Apprenticeship Act 1961/1973.

6) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रावास/आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी । चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे ।

Bhilai Steel Plant will not provide any sort of accommodation during the training. Apprentices shall have to make their own arrangement.

7) छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी । परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है ।

Chhattisgarh residents will be given preference over others. Applications from other states may be considered, only if there are any vacancies left after the selection process which cannot be filled by Chhattisgarh residents